

भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली

परीक्षा विंग (Examination Wing)

परिपत्र संख्या (Circular No.): 2026 का 06

संख्या: 429 /08-परीक्षा/ एसएस आदि परीक्षा/ 2026

दिनांक: 25/05/2026

सेवा में,

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA&AD) के सभी विभागाध्यक्ष
(मानक ई-मेल सूची के अनुसार)

विषय: एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II और III परीक्षा - 2026 की परीक्षा-1

महोदया/महोदय,

संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ष 2026 की एसएस/आरए/आई/सीपीडी-1, II और III परीक्षा-1 जून 2026 के अंत में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा की समय-सारणी (डेट शीट) से यथासमय अवगत करा दिया जाएगा। परीक्षा के लिए पात्रता (योग्यता) की अंतिम तिथि (कट-ऑफ डेट) 1 मार्च 2026 है।

संशोधित पाठ्यक्रम में छह शाखाओं के 20 प्रश्न पत्र शामिल हैं। संशोधित पाठ्यक्रम के तहत, एक उम्मीदवार को चार-चार प्रश्न पत्रों के 02 समूहों में कुल 08 प्रश्न पत्र पास करने होंगे। इसके अलावा, संशोधित पाठ्यक्रम में एक छूट मैट्रिक्स (Exemption Matrix) को शामिल किया गया है, जो उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से उन प्रश्न पत्रों को पास करने का निर्देश देता है जहाँ कोई छूट उपलब्ध नहीं है। जोड़े गए नए प्रश्न पत्रों, अर्थात् पीसी-12, पीसी-13, पीसी-14, पीसी-15 और पीसी-16 को संबंधित संकायों (Streams) के सभी उम्मीदवारों द्वारा हल किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न पत्रों में उनके भारांश (वेटेज) के अनुपात में, क्रमिक कठिनाई स्तर वाले केस स्टडीज/अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) और अभिकथन/तर्क (असर्शन/रीजनिंग) आधारित प्रश्न शामिल होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम और नमूना मॉडल प्रश्न (सैंपल मॉडल क्वेश्चंस) सीएजी (CAG) की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा (Examination) टैब के अंतर्गत अपलोड कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, पहली बार पंजीकरण कराने वाले एसएस उम्मीदवारों (नए उम्मीदवारों) के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- i) प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत (ओवरऑल पासिंग परसेंटेज) 50% होगा।
- ii) प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% का अनुभागीय उत्तीर्ण प्रतिशत (सेक्शनल पास परसेंटेज) भी होगा।
- iii) प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए छूट की सीमा (एग्जेंप्शन थ्रेशोल्ड) 60% होगी, जिसकी वैधता तीन वर्षों तक सीमित रहेगी।

वर्ष 2026 की एसएएस परीक्षा-I की अंतिम तिथियों, पात्रता मानदंडों आदि के बारे में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,
हस्ता/-
(राज कमल रंजन)
निदेशक (परीक्षा)